भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3247

सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

अवैध प्लेसमेंट एजेंसियां

3247. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष रूप से मेट्रो शहरों में बिना किसी विनियमों के बड़ी संख्या में अवैध प्लेसमेंट एजेंसियां काम कर रही हैं;

(ख) क्या ऐसी अवैध एजेंसियां दूसरे राज्यों के नाबालिगों को घर के कामों मे लगाकर उनका शोषण करती हैं और नौकरी देने के नाम पर बेराजगार व्यक्तियों से पैसे भी वसूलती हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसी अवैध प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और उनसे वसूली गई जुर्माने की राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी प्लेसमेंट एजेसिंयों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए पहले भी एक समिति गठित की थी; और

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या है और सरकार द्वारा इनके कार्यन्वयन के संबंध में क्या स्थिति है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण सहित कामकाज को विनियमित करने की सलाह दी गई है। ऐसी एजेंसियों से संबंधित शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आईपीसी या अन्य प्रचलित अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निपटाया जाता है, जिसके तहत ऐसे प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं।

जारी../2-

निजी प्लेसमेंट एजेंसियों से संबंधित मुद्दों पर समय-समय पर समितियों का गठन किया गया था और मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह जारी की थी कि राज्य निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के संचालन को विनियमित करके कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल (एनसीएसपी) आरंभ किया है और कई राज्य सरकारों ने ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स भी आरंभ किए हैं ताकि नौकरी चाहने वाले नियोक्ताओं से और नियोक्ता नौकरी चाहने वाले से जुड़ सकें।केंद्र सरकार नौकरी चाहने वालों को रोजगार सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों की भी सहायता कर रही है।

*****